

इस्लाम प्रश्न और उत्तर

जनरल पर्यवेक्षक : शैख मुहम्मद सालेह
अल-मुनज्जिद

36567 - कुर्बानी की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को किन चीजों से बचना चाहिए

प्रश्न

क्या उस व्यक्ति के लिए जो कुर्बानी करने की इच्छा रखता है अपने बालों और नाखूनों को काटना जायज़ है?

विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह के लिए योग्य है।

शैख अब्दुल अजीज़ इब्ने बाज़ रहिमहुल्लाह ने फरमाया :

“यदि कोई व्यक्ति कुर्बानी करना चाहता है, और जुल-हिज्जा का महीना शुरू हो जाए: या तो नया चाँद देखने की वजह से, या जुल-क्रादा के तीस दिन पूरा करने के कारण, तो उसके लिए अपने बालों या नाखूनों या त्वचा में से कुछ भी काटना हराम हो जाता है यहाँ तक कि वह अपने कुर्बानी के जानवर को ज़बह कर दे। क्योंकि उम्मे सलमह रज़ियल्लाहु अन्हा की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : "जब तुम जुल-हिज्जा का नया चाँद देख लो", और एक रिवायत के शब्द में यह है कि: "जब (जुल-हिज्जा के) दस दिन शुरू हो जाएं और तुम में से कोई व्यक्ति कुर्बानी करना चाहे, तो वह अपने बाल और नाखून (काटने) से रुक जाए।" इसे मुस्लिम और अहमद ने रिवायत किया है। और एक रिवायत में है कि: "तो वह अपने बाल और नाखून न काटे यहाँ तक कि वह कुर्बानी कर ले।" और एक रिवायत के शब्द यह हैं कि : "तो वह अपने बाल और त्वचा में से किसी चीज़ को न छुए।"

यदि वह जुल-हिज्जा के पहले दस दिनों के दौरान कुर्बानी करने का इरादा करे, तो वह अपनी नीयत के समय से उससे रुक जाए और नीयत करने से पहले उसने जो बाल वगैरह काट लिए हैं उसमें उसपर कोई पाप नहीं है।

इस निषेध की हिक्मत (तत्वदर्शिता) यह है कि जब कुर्बानी करने वाला व्यक्ति हज्ज के कुछ अनुष्ठानों में हाजी के साथ साझा रखता है और वह जानवर की कुर्बानी करके अल्लाह की निकटता प्राप्त करना है, तो वह एहराम की कुछ विशेषताओं जैसे बाल वगैरह काटने में भी उसके साथ साझा रखने वाला हो गया।

यह आदेश केवल उस व्यक्ति के लिए विशिष्ट है जो कुर्बानी करने वाला है, रही बात उसकी जिसकी ओर से कुर्बानी की जा

इस्लाम प्रश्न और उत्तर

जनरल पर्यवेक्षक : शैख मुहम्मद सालेह
अल-मुनज्जिद

रही है तो उसके साथ उसका संबंध नहीं है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: “और तुम में से कोई व्यक्ति कुर्बानी करना चाहे”, आप ने यह नहीं फरमाया: “या जिसकी तरफ से कुर्बानी की जा रही है।” तथा इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपने घर वालों की ओर से कुर्बानी करते थे और आपके बारे में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि आप ने उन्हें (अपने बाल और नाखून आदि काटने) से बचने का आदेश दिया।

इस आधार पर, कुर्बानी करने वाले व्यक्ति के परिवार के लिए जुल-हिज्जा के पहले दस दिनों के दौरान अपने बालों, नाखूनों और त्वचा से काटना जायज़ है।

यदि वह व्यक्ति जो कुर्बानी करना चाहता है अपने बालों या नाखूनों या त्वचा में से कुछ भी काट लेता है, तो उसे अल्लाह से पश्चाताप करना चाहिए और फिर से ऐसा नहीं करना चाहिए, और उसके ऊपर कोई कफ़ारा नहीं है, और यह उसे कुर्बानी करने से नहीं रोकता है, जैसाकि कुछ आम लोगों का गुमान है। अगर वह इन चीजों में से कोई चीज़ भूलकर या अज्ञानता में कर लेता है, या कुछ बाल अनचाहे गिर जाता है तो उसके ऊपर कोई पाप नहीं है। अगर उसे इसे काटने की ज़रूरत पड़ जाती है तो वह ऐसा कर सकता है और उसके ऊपर कोई दोष नहीं है, जैसे कि उसका नाखून टूट जाए और उसे उससे कष्ट पहुंचता हो तो वह उसे काट सकता है, या यदि कोई बाल उसकी आंखों में आ जाए तो वह उसे हटा सकता है, या किसी घाव आदि के इलाज के लिए उसे अपने बालों को काटने की ज़रूरत पड़ जाए।”